न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 455 / 2025

श्री प्रवीण नायक पुत्र रणजीत नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, वार्ड नं0 12, मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 01.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 455 / 2025 पर दिनांक 31.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4803—804 दिनांक 31.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्र जारी करने के बावजूद कोई जबाब / रिपोर्ट पेश नही की। लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।
5. अपीलार्थी की ओर से वकील श्री कुर्बान अली उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्र जारी करने के बावजूद कोई जबाब / रिपोर्ट पेश नही की। लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं